612 सांवरमल- ग्रामपंचायत

16.7.18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि योग्य अदालत मातहत ने ग्राम रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर स्थित भूमि ख0नं0 569 रकबा 1.41 हैक्टर किस्म बजंड-2 सिवायचक में से 0.40 हैक्टर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित कर ग्राम पंचायत रामपुरा को सार्वजनिक श्मशान हेतु एक वर्ष की अवधि में चार दीवारी निर्माण किये जाने की शर्त पर आंवटन की है । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने ख0नं0 569 रकबा 1.41 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित कर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को सार्वजनिक श्मशान हेतु आंवटन किये जाने में कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 6 आपस में सगे भाई है। जिनका उक्त आराजी खसरा 569 रकबा 1.41 हैक्टर में से लगभग 9 बीघा खाम पर अर्सा करीब 32 वर्षों से भी अधिक समय से निर्विवाद निरन्तर कब्जा रहा है जो अपने पिता के समय से काबिज रहे हैं । उक्त आराजी की किस्म बजंड दोयम होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 से भी प्रतिबन्धित नहीं है । इस आराजी पर हमारा कब्जा पुराना होने से यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 6 को पुराना कब्जा होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से यह आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0-3 से 6 को आंवटन की जानी चाहिये थी किन्तु ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने ग्राम की पार्टीबाजी से इस आराजी को जो अपीलान्ट के कब्जा काश्त में रही जिसकी बिना मौके की जांच करवाये बिना अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 6 को बिना जानकारी होने दिये सार्वजनिक श्मशान हेतु आंवटित करवाली जो विधि के विरूद्ध है ।अपीलान्ट को आदेश से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं होने पर आदेश की जानकारी भी नहीं हुई । दिनांक 30-7-2012 को पटवारी हल्का ने बताया कि यह आराजी वर्ष 2009 में आंवटन किये जाने के बाद नामान्तरकण सं0-426 के द्वारा गैर मुमकीन श्मशान दर्ज की जा चुकी है ।इस पर अपीलान्ट ने जमाबन्दी की नकल ली तथा बाद में दिनांक 1-8-2012 को अदालत मातहत की राजस्व शाखा में नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 16-8-2012 को प्राप्त हुई जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । विवादित आराजी ख0नं0 569 रकबा 1.41 हैक्टर के किसी भी भाग पर कोई श्मशान नहीं है बल्कि इस आराजी पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट स0-3 से 6 का कब्जा काश्त रहा है । इस बाबत अदालत मातहत ने कोई मौका जांच न कर आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने आंवटन आदेश एक वर्ष की अवधि में चार दीवारी निर्माण किये जाने की शर्त पर आंवटन किया गया है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने इस अवधि में कोई चार दीवारी का निर्माण नहीं किया । इस कारण भी यह आंवटन आदेश स्वतः ही निरस्त हो चुका है ।इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का कब्जा भी नहीं है । इस आराजी पर

6/2012 शंकरमल - ग्रामपंचायत

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 6 का कब्जा है जिनको इस आराजी से कभी भी बेदखल नहीं किया गया है । इस कारण जब तक हमें बेदखल नहीं किया जाता आंवटन की गई आराजी पर चार दीवारी सम्भव नहीं है। इस कारण अदालत मातहत के आदेश को निरस्त किया जावे । अदालत मातहत में अपीलान्ट को जान-बुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया । इस कारण अपीलांट ने अपील के साथ धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार कर प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी स्वीकार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का आंवटन आदेश निरस्त किया जावे । अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।	

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।नकल जमाबन्दी सं0- 2066 से 2069 में ख0नं0 569 रकबा 1.41 हैक्टर की खातेदारी सिवायचक दर्ज है जिस पर नोट दर्ज है "नामा0सं0-426 दिनांक 18-2-2010 के द्वारा ख0नं0 569/1 रकबा 0.40 हैक्टर गै0मु0 श्मशान ग्राम पंचायत के नाम स्वीकृत किया शेष यथावत का नोट दर्ज है ।भूमि आंवटन बाबत चैक लिस्ट में बिन्दू संख्या-15 में इस आराजी बाबत कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन नहीं तथा ना ही किसी प्रकार का स्थगन आदेश है तथा बिन्दू संख्या- 19 में आराजी पर अतिक्रमण हो तो विवरण- जिस में कोई अतिक्रमण नहीं बताया गया है ।इस प्रकार तहसीलदार द्वारा चैक लिस्ट में श्मशान हेतु आंवटन योग्य बताया है ।खसरा गिरदावरी सं0-2062 से 2065 में ख0नं0 569 रकबा 1.41 हैक्टर पर किसी का कोई कब्जा काश्त दर्ज नहीं है ।पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी

भू प्रबन्ध अधिकारी एव राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	

राजकीय सिवायचक दर्ज है जिसकी किस्म बंजड-2 दर्ज है ।तहसीलदार ने आवटन से पूर्व मौके की चैक लिस्ट पेश की है उसमें इस आराजी पर किसी पक्ष का कोई अतिक्रमण नहीं बताया है । तथा ना ही किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होना बताया है ।अपीलान्ट ने इस आराजी पर अपना व रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 6 का कब्जा 32 वर्ष पुराना बताया है किन्तु कब्जा बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह साबित होता हो कि इस आराजी पर आवटन से पूर्व कोई अतिक्रमण हो । अदालत मातहत ने अपने आदेश से पूर्व सभी तथ्यों की जांच कर अपना निर्णय दिया है अपीलान्ट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की तथा अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने से धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया ।अपीलान्ट की अपील का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न अपील पक्ष अपील में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।तथा प्रकरण का निस्तारण मैरिट पर किया जाना उचित मानते हैं ।प्रस्तुत दस्तावेज में अपीलान्ट का इस भूमि पर कब्जा रहा हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है ।योग्य अदालत मातहत ने प्रकरण में सभी तथ्यों पर मनन करने के बाद मौके की रिपोर्ट लेते हुये आदेश पारित किया है । जिसमें अपीलान्ट का किसी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है ।अतः प्रार्थना पत्र धारा-96 सी पीसी खारिज किया जाकर अपीलान्ट की अपील साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर सीकर का आवंटन आदेश दिनांक 31-12-2009 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

16/7/18.

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं